न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–25 सन् 1998

मिथलेश भगत.....वादी।

बनाम

रघुवंश प्रसाद चौरसिया.....प्रतिवादी।

दिनांक– 11.05.2023

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 4 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 04.05.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद साक्ष्य पर चल रहा है। इसी बीच जानकारी हुई कि प्रतिवादी सं0 01 'ख' राज कुमार चौरसिया, वल्द–स्व0 भोला भगत की मृत्यु दिनांक 05.12.2015 को सुरत, अहमदाबाद में हो चुकी है। इनका कोई वारिसान नहीं है। न्यायहित में उपरोक्त प्रतिवादी का नाम वादपत्र से कलमजद कर दिया जाए। अतः निवेदन है कि विलंब माफ करते हुए तथा आवेदन को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं0 01 'ख' का नाम वादपत्र से कलमजद कर दिया जाए।वादी की ओर से धारा–5 परिसीमा अधिनियम में अंतर्गत विलंम माफ करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त वाद में प्रतिवादी सं0 01 'ख' राज कुमार चौरसिया, वल्द–स्व0 भोला भगत का नाम वादपत्र से कलमजद करने हेतु दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी सं0 01 'ख' राज कुमार चौरसिया, वल्द–स्व0 भोला भगत की मृत्यु दिनांक 05.12.2015 को सुरत, अहमदाबाद में हो चुकी है तथा इनका कोई वारिसान नहीं है। वादी के ओर से उक्त आवेदन शपथ पत्र के साथ समर्थित है तथा विलंब माफ करने हेतु भी अ ावेदन दाखिल किया गया है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी राज कुमार चौरसिया का नाम वादपत्र से कलमजद करना न्योचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 04.05.2023 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक.....को वादी के साक्ष्य हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।